

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(4)(1)पंचा/रानिआ/14-15/ 5214

दिनांक: 30/10/14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय :- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम - 58 (2) के प्रावधानों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक पंचायत समिति के लिए, उसके सदस्यों के निर्वाचन के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी और उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने व नियम 23 (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक पंचायत वृत्त के लिये रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। नियम 23 (3) के अंतर्गत निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा किसी एक मतदान अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर की अनुपस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है।

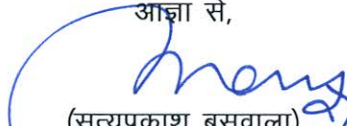
नियम 31 के उपबन्धों के अनुसार मतदान अधिकारियों, सहायक मतदान अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी का रखा गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए, यह निर्देश जारी करता है कि -

1. प्रत्येक पंचायत वृत्त के लिये एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा और प्रत्येक मतदान बूथ के लिये 5 व्यक्तियों का एक मतदान दल होगा। मतदान दल में एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी होंगे।
2. जिन पंचायत सर्किलों के वार्डों की संख्या 25 या अधिक है, उनके लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए उस पंचायत सर्किल के बूथों के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा। साथ ही रिटर्निंग अधिकारी के अपरिहार्य रूप से उसके कृत्यों के निर्वहन से निवारित हो जाने की दशा में, उस पंचायत सर्किल के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा।
3. रिटर्निंग ऑफिसर मतदान अधिकारी से उच्चतर पद का अधिकारी होगा। मतदान अधिकारी विधानसभा/लोकसभा चुनाव के लिये नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समान स्तर का होगा। मतदान दलों के लिए मतदान अधिकारी जहाँ तक सम्भव हो राजपत्रित अधिकारियों को ही लगाया जाए, लेकिन यदि राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो सुपरवाइजरी स्टाफ को भी मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
4. मतदान दल में 4 सहायक मतदान अधिकारियों में 3 मंत्रालयिक स्तर के तथा 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये जा सकते हैं।
5. मतदान दल में ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त न किया जाए जो उस पंचायत समिति का निवासी हो जिसके अंतर्गत वह मतदान केन्द्र/बूथ आता हो या उस पंचायत समिति क्षेत्र में वर्तमान समय में वह पदस्थ हो। पंचायत समिति के अधीनस्थ अध्यापकों को अन्य पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान दलों में लगाया जा सकता है।


30/10/14

6. मतदान दलों के गठन से पूर्व सभी शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय विभागों/कार्यालयों/संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की अद्यतन सूचियाँ तैयार की जाए। किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दलों से मिलिभगत या उनके पक्ष में होने के आरोप से बचने एवं उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों तथा जनता के मन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक हैं कि विभिन्न शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय विभागों/कार्यालयों/संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों को एक मतदान दल में जहां तक संभव हो, समुचित रूप से मिलाया (Mix-up) जाए।
7. रिटर्निंग ऑफिसर एवं मतदान दलों को दो बार प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम प्रशिक्षण रिटर्निंग ऑफिसर एवं मतदान अधिकारी को मतदान दल की रवानगी के दिन से पूर्व एवं द्वितीय प्रशिक्षण रिटर्निंग ऑफिसर एवं मतदान दल के समस्त सदस्यों को मतदान दल की रवानगी के दिन दिया जायेगा।
8. मतदान दल में कार्मिकों की नियुक्ति उनके मूल पद/वेतनमान/स्तर के अनुरूप ही की जाए। चुनाव ड्यूटी लगाते समय कार्मिकों की वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी कनिष्ठ अधिकारी/कार्मिक के अधिनस्थ किसी वरिष्ठ अधिकारी/कार्मिक को नहीं लगाया जाए।
9. किसी भी मतदान केन्द्र पर आपातकाल से निपटने एवं पुनर्मतदान हेतु पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों एवं ऐसे सभी अधिकारियों जिनको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस के लिए चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया हो, के लिए आरक्षित कार्मिकों की सूची तैयार रखी जाए। ऐसे आरक्षित दलों की संख्या 10% रखी जाए।
10. निम्नलिखित की ड्यूटी मतदान दल में नहीं लगाई जाए:-
 1. केन्द्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं के कार्मिक।
 2. ऐसे कार्मिक जो किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार से संबद्ध हों।
 3. अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्मिक।
 4. शारीरिक रूप से विकलांग कार्मिक।
 5. यथा संभव महिला कार्मिकों को मतदान दलों में नहीं लगाया जाए। पर्दानशीन महिला मतदाताओं की पहचान हेतु पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कार्मिक का सहयोग ले सकते हैं।

आज्ञा से,

 (सत्यप्रकाश बसवाला)
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
 एवं सचिव
 राज्य निर्वाचन आयोग,
 राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.7(4)(1)पंचा/रानिआ/14-15/5215-21
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैं:-

दिनांक: 30/10/14

1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. लेखाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. गार्ड फाईल।


 (अशोक कुमार जैन)
 उप सचिव